# कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

**दिनांक-21-03-2025**

**मनी लान्ड्रिंग केस का सस्पेक्ट बताकर, अरेस्ट वांरट दिखा कर गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठगो द्वारा वादी के खाते से कुल 18,82,331/- रुपये उड़ाया, साइबर पुलिस टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए 14 लाख रुपया वापस कराया गया।**

वादी श्री अनिल सिंह कुशवाहा पुत्र स्व0 रामाज्ञा सिंह कुशवाहा निवासी आ०सं० 673, H बरेका कालोनी थाना मड़ुआडीह वाराणसी-221004 स्थायी पता- बगेन्द थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर द्वारा बताया गया कि मो.नं. 8882465614 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी को फोन कर खुद को एसबीआई कार्ड का कस्टमर केयर से होना बताकर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किये जाने की बात बताकर जो वादी के आधार कार्ड का मिस युज होने की बात कह कर वादी का कॉल मुम्बई साइबर पुलिस को शिकायत करने हेतु ट्रांसफर कर वादी को नरेश अग्रवाल द्वारा किये गये मनी लान्ड्रिंग केस का सस्पेक्ट बताकर, अरेस्ट वांरट दिखा कर गिरफ्तारी का डर दिखाकर कुल 18,82,331/- रुपये की आनलाइन धोखाधड़ी कर लिया गया जिसके संबन्ध में जाचोपरान्त थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 0002/2025 धारा – 308(2), 318(2), 318(4) बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी.एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में साइबर क्राइम थाना वाराणसी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबन्धित वादी का बैंक के नोडल अधिकारी सहयोग लेते हुए व संबन्धित बैंक के नोडल अधिकारी जिस खाते में पैसा गया था, से साइबर तकनीकी व ट्रिक का प्रयोग करते हुए लगातार प्रभावी पत्राचार व वार्तालाप करते विभिन्न खातों में लगभग 14,00,000/- रूपये हुए खाते को सीज कराया गया था। तत्पश्चात् उच्चाधिकारीगणों के आदेश निर्देश के क्रम में माननीय न्यायालय व संबन्धित बैंक व विभिन्न इंटरमीडियरी कंपनियों से पत्राचार/वार्तालाप/समन्वय स्थापित कर वादी के खाते में 14,00,000/- रूपये वापस कराया गया। जिस पर वादी द्वारा लिखित रूप से तहरीर देकर सहयोग व कार्यवाही के लिए थाना साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद दिया तथा भूरि – भूरि प्रशंसा किया।

**अनाधिकृत कटा राशि** --- 18,82,331/- **रूपये**
**वापस कराया गया राशि--- 14,00,000/- रूपये**

**पुलिस टीम के सदस्य थाना साइबर क्राइम वाराणसी -**

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह– थाना प्रभारी निरीक्षक।
2. निरीक्षक विपिन कुमार यादव
3. उ.नि. संजीव कुमार कनौजिया
4. उ.नि. राकेश सिंह भदौरिया
5. का. मनीष कुमार सिंह